

1067
2/11/2025

निविदा-शर्तें

निविदा शुल्क :-	200 सौ रूपए मात्र (दो सौ रूपए मात्र) जी.एस.टी.अतिरिक्त।
निविदा दिनांक :-	
निविदा प्राप्ति समय :-	14.00 बजे।
निविदा खोलने का समय :-	15.00 बजे।

स्टाल आवंटन/संचालन की निविदा शर्तें निम्न हैं:-

- निगम परिसर में दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान अर्थात् लाईसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिये दी जायेगी। एक वर्ष की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने/सन्तोषजनक सेवाये रहने पर लाईसेन्स फीस में 10 चक्रवृत्ति दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टालों की मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये से कम है, उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक व जिन स्टालों के मासिक लाईसेंस फीस 50,000/- रुपये अथवा उससे अधिक होने पर उन स्टालों का लाईसेंस नवीनीकरण अधिकतम पाँच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाईसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा निर्देशानुसार समय पर स्टाल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाईसेन्सी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना/नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान/स्टाल/बूथ खाली कर कब्जा सम्भालना पड़ेगा। लाईसेन्सी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध याद दायर नहीं किया जा सकेगा।
- लाईसेन्स पर दुकान/स्टाल/बूथ/खाली स्थान लेने हेतु लाईसेन्सी को पाँच सौ रूपए के भारतीय गैर न्यायाधिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
- लाईसेन्स पर दी गई दुकान/स्टाल/बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गई सामग्री का ही वेचान किया जा सकेगा इसके अतिरिक्त अन्य कोई सामान का वेचान नहीं किया जायेगा :-
नोट:- जिस स्टाल हेतु आवेदन किया जा रहा है उसके अनुरूप स्वीकृत सामग्री का ही इन्द्राज करे।
- निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि 1,00,000/- रुपये (अक्षरों में एक लाख रुपये मात्र) रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/नकद जमाओं की रसीद संलग्न करनी होगी। एवं 50,000 या उससे अधिक की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के द्वारा ही मान्य होगी। लाईसेन्स आवंटित होने पर लाईसेन्सी को दस दिवस में तीन माह की लाईसेन्स फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी./बैंकर्स चेक/नगद निगम कोष में जमा करानी होगी। उक्त धरोहर एवम् सुरक्षा राशि बिना व्याज के लाईसेन्स अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाईसेन्सी द्वारा लाईसेन्स जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरम्भ नहीं करने पर धरोहर राशि एवम् सुरक्षा राशि जब्त कर लाईसेन्स रद्द कर दिया जावेगा व द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अर्थात् पुनः निविदा कर लाईसेन्स आवंटन किया जा सकेगा।
- आवंटन के पश्चात् सफल निविदादाता को आवंटन पत्र में निर्धारित समयावधि में सुरक्षा राशि, अनुबन्ध पत्र एवं 12 माह के अग्रिम पोस्ट डेटेड बैंक इस कार्यालय में जमा करवायेगे अन्यथा संचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी साथ ही आवंटन निरस्त कर जमा धरोहर राशि जप्त कर ली जायेगी।
- लाईसेंसधारी, स्टाल आवंटन के पश्चात् स्वयं के खर्च पर आवंटित स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से कियोस्क का निर्माण करेगा। निर्माण पूर्व स्टाल निर्माण के प्रारूप का अनुमोदन करवाना लाईसेन्सधारी के लिए अनिवार्य होगा। यदि स्टाल बनी हुयी है तो उसे व्यवस्थित करेगा, लाईसेन्सधारी का दायित्व होगा कि आवंटित स्टाल को इस प्रकार से व्यवस्थित कर संचालित करे, जिससे प्लेटफार्म की सुन्दरता बनी रही। इस कार्य हेतु किये गए व्यय का निगम द्वारा किसी भी प्रकार से पुनःभरण नहीं किया जावेगा। स्टाल को सुव्यवस्थित करने के पश्चात् ही व्यवसाय प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जावेगी।
- निगम को अनुबन्ध समाप्ति दिनांक से पूर्व आवंटित दुकान/स्टाल/खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे के भीतर स्वयं के खर्च पर पुरानी जगह से सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जावेगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवम् उसकी व्यवसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाईसेन्स दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाईसेन्सी को प्राथमिकता दी जायेगी। यदि नवीन लाईसेन्सी शुल्क/दरों के लिए पूर्व लाईसेन्सी सहमत न हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जायेगी एवम् नये स्थान का लाईसेन्स भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदाओं आमन्त्रित कर आवंटन किया जावेगा। ऐसी स्थिति में यदि लाईसेन्सी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाईसेन्स समाप्त करा सकेगा।
- लाईसेन्सी मासिक लाईसेन्स फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड बैंक जो प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को देय होंगे, देगा। माह की 07 तारीख तक लाईसेन्स फीस निगम कोष में जमा/सुनिश्चित नहीं कराने पर अथवा लाईसेन्स की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारीय समिति 48 घंटे का नोटिस जारी कर लाईसेन्स निरस्त कर सकेगी। लाईसेन्स निरस्त करने/वापिस किये जाने पर लाईसेन्सी निगम परिसर को 24 घंटे में खाली कर उसका कब्जा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी दुकान में प्रवेश कर दुकान/स्टाल का कब्जा लेगा और स्टाल के ताला लगा दिया जावेगा।
- लाईसेन्सी स्वयं के खर्च पर सम्बन्धित विभाग के विजली व पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा तथा उसका स्वयं भुगतान वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारीय समिति सम्बन्धित विभाग को कनेक्शन बन्द करने के लिए सूचित करेगा।
- आवंटित दुकान/खाली स्थान पर लाईसेन्सी मादक पदार्थ जैसे शराब, वीयर, अफीम, गांजा, चरस व सरकार द्वारा प्रतिबन्धित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।
- लाईसेन्सी अपना व्यवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।
- लाईसेन्सी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारीय समिति से अनुमोदन कराकर दुकानदार/स्टाल पर लगावेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाईसेन्सी आवंटित दुकान/स्टाल में किसी तरह का परिवर्तन/मरम्मत नहीं करा सकेगा।
- निगम द्वारा लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर लाईसेन्स को निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।
- यदि लाईसेन्सी स्वयं अपना लाईसेन्स घालू नहीं रखना चाहते तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व उसकी सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिये बिना व्यवसाय बन्द करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा एवम् धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- दुकान/स्टाल/बूथ का लिया गया लाईसेन्स अहस्तान्तरित योग्य होगा व सबलेट नहीं किया जा सकेगा।
- अनुबन्ध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के संबंध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिये परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक होंगे। जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले/विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय/पंचाट पारित हुए बिना कोई याद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेगा। उक्त दोनों पक्ष यह जानते हैं कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते हैं। पंच निर्णायक/न्यायालय का कार्य क्षेत्र/कार्य स्थल जयपुर होगा।
- लाईसेन्सी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जायेगी, जो लाईसेन्सी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसे नहीं करने पर आगारीय समिति लाईसेन्स निरस्त कर जमा राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाईसेन्स दे दिया जावेगा।
- लाईसेन्सी द्वारा निगम से समय-समय पर जारी आदेश/शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारीय कमेटी को लाईसेन्स निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। इससे होने वाली हानि के लिए लाईसेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- दुकान/स्टाल/बूथ पर पूर्ण गुणवत्ता पदार्थों का ही विक्रय किया जावेगा।

20. लाईसेन्सी द्वारा किये जा रहे व्यवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाईसेन्सी द्वारा सीधे सम्बन्धित विभाग में जमा कराया जावेगा।
21. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिये जाते हैं तो निविदादाता को लाईसेन्स प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबन्धक के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
 1. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवम् अचल सम्पत्ति है उसके प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है तो उसके गारन्टर की आय एवम् अचल सम्पत्ति के प्रपत्रों की प्रमाणित छाया-प्रति।
 2. निविदादाता के नाम पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र/वर्तमान ड्राइविंग लाईसेन्स की प्रमाणित प्रति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनकम टैक्स रिटर्न की प्रमाणित छाया-प्रति)
 3. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारन्टर को 100/- रूपए के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ पत्र भी देना होगा की जब तक वह निगम का लाईसेन्सी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति के वह अपनी चल अचल सम्पत्ति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ पत्र नोटरी पब्लिक ओथोरीटी द्वारा सत्यापित होगा।
22. निविदा-प्रस्ताव सीलबन्द लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।
23. निविदा प्रस्ताव सरल एवम् शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की कांट-छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखें।
24. निविदादाता द्वारा दिये गये कोई भी शर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।
25. यदि किसी भी संस्थान/व्यक्ति फर्म के विरुद्ध निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।
26. संलग्न धोषणा-पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न करें।
27. निविदा में प्राप्त दरों की स्वीकृति/अस्वीकृत करने का तथा दर दाताओं के प्रस्ताव को निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार आगारीय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
28. केन्द्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, केन्द्र एवम् राज्य सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों एवम् राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारी एवम् उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को स्टैण्ड पर स्टाल का आवंटन नहीं किया जा सकेगा।
29. लाईसेन्सधारी उसके द्वारा देय लाईसेन्स फीस के अलावा जी.एस.टी. एवम् उन समस्त करों को तथा अन्य फीस को जो भी किसी सरकारी विभाग अथवा स्थानीय निकाय को देय हो आदि का भुगतान नियमानुसार समय पर करेगा।
30. फर्म जिसके पक्ष में लाईसेन्स जारी किया गया है उसका यह दायित्व होगा कि लाईसेन्स फीस का भुगतान उस दिनांक से करें जिस दिनांक को उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया है तथा लाईसेन्स फीस जमा नहीं करवाने पर प्रतिदिन 50/- रूपए अथवा चैक राशि का 1 प्रतिशत जो भी अधिक हो की दर से शास्ति राशि जमा करवानी होगी।
31. जयपुर आगार परिसर में नव निर्माण कार्य के कारण निगम प्रशासन को स्थान की आवश्यकता होने पर लाईसेन्सी को 24 घंटे का लिखित नोटिस देकर स्थान खाली करवाते हुए लाईसेन्स निरस्त किया जा सकता है एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
32. लाईसेन्सधारी को स्वयं के व्यव पर 2 सी.सी.टी.वी. कैमरे (विथ साउण्ड रिकार्डर) प्रथम कैंस काउन्टर व दुसरा बाहर रास्ते की ओर लगा हुआ हो, जिसका बैकअप एक माह तक रक्षित रखना अनिवार्य होगा।
33. जी.एस.टी. इनपुट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
34. निविदादाता द्वारा निविदा फार्म पूर्ण व साफ साफ भरा होना चाहिए। अपूर्ण निविदा फार्म किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा फार्म निरस्त कर दिया जावेगा।
35. किसी शर्त का उल्लंघन करने पर बिना पूर्व सूचना के 24 घंटे का नोटिस देकर दुकान का लाईसेन्स निरस्त कर दिया जावेगा एवम् इसके लिए लाईसेन्सी को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।

श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 232 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में Dispute Resolution and Arbitration Clause को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-

- 36- **Dispute Resolution:** Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
- 37- Any dispute/objection regarding the conditions mentioned in all the tenders/contracts/agreements issued by the Corporation shall be filed in the competent court located in jaipur.

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

मुख्य प्रबंधक जयपुर आगार

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)

Department Details:	
Department Name	Rajasthan State Road Transport Corporation
Department Type	Corporation
Procuring Entity Name:	Mr. Manager Finance
Procuring Entity Contact:	Email: cmjaipur[dot]rsrtc[at]gmail[dot]com, Mobile: 9549657463
Office Address:	Jaipur Depot, CM RSRTC, Jaipur depot, Jaipur, (Jaipur), PIN:302001, Landline No.:9549657463, Fax No.:

NIB Details:	
NIB Code	RTC2526A0480
NIB Reference no.	567

Document	Financial Year	Publish Date	Uploaded on	Published Bids
 [English n हिन्दी] 1.25 MB	2025 - 2026	12/11/2025	12/11/2025	1 / 1

Publish Bid Details:

	Cover(s)	Document	Bid Title / (UBN):	Amount(₹)	Bid Type	Open Date	End Date
 1		 [English n हिन्दी] 1.25 MB	Tender For Canteen Stall (canteen stall No. of 03 Only) (RTC2526GSOB00570)	₹ 150000.00	Goods	20/11/2025	20/11/2025

Bid Details:	
Bid Title	Tender For Canteen Stall (canteen stall No. of 03 Only)
Bid Type	Goods
Bid Sub Type	Food Grains
Bid Pattern	Open Competitive Bidding
Bid Amount	₹ 150000.00
Bid Required in Cover(s)	1
First Appeal Hearing Authority	manager Finance
Second Appeal Hearing Authority	Chief Manager
Is Emergency Procurement OR Relaxation U/R 40(1) or 43(6) or 43(7)?	Yes
Critical Dates:	
Bid Upload Date	12/11/2025
Bid Publish Date	12/11/2025
Bid Submission End Date	20/11/2025
Bid Open Date	20/11/2025